प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2.समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0,
उत्तर प्रदेश।

4274-2

पत्रसंख्या:एस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/ डाटा कार्ड /2014–15/50–ए/ दिनांक: 26-12-14

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 75 जनपदीय पीएमयू एवं 820 ब्लॉक पीएमयू में लैन/डाटा कार्ड के माध्यम से इंटरनेट की कनेक्टिविटी की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संम्बंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी0आई0पी0 2014–15 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:–

" Internet connectivity through LAN/ Data card @ Rs. 3,000.00 per month for District Programme Management Unit and @ Rs. 1,000.00 per month for Block Programme Management Unit as per FMR code B.15.3.2.7 for financial year 2014-15. These are indicative rates, final rates are to be arrived at as per DGS&D rate contract or after competitive bidding following protocols"

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:–

SN.	Districts	No. of Block PMU	Approved @ Rs 1000.00 per BPMU per month for Internet Connectivity through LAN/Data Card	Approved @ Rs 3000.00 per DPMU per month for Internet Connectivity through LAN/Data Card	Total amount released FY 2014-15 (Rs.)
1	2	3	4 = (Col. 3) X Rs 1000 x 12 months/district	5= Rs.3000 x 12 month / District	6=4+5
1	Agra	15	180000	36000	216000
2	Firozabad	9	108000	36000	144000
3	Mainpuri	9	108000	36000	144000
4	Mathura	10	120000	36000	156000
5	Aligarh	12	144000	36000	180000
6	Etah	8	96000	36000	132000
7	Hathras	7	84000	36000	120000
8	Kashganj	7	84000	36000	120000
9	Allahabad	20	240000	36000	276000
10	Fatehpur	13	156000	36000	192000
11	Kaushambi	8	96000	36000	132000

12	Pratapgarh	17	204000	36000	240000
13	Azamgarh	22	264000	36000	300000
14	Ballia	17	204000	36000	240000
15	Mau	9	108000	36000	144000
16	Bareilly	15	180000	36000	216000
17	Budaun	15	180000	36000	216000
18	Pilibhit	7	84000	36000	120000
19	Shahjahanpur	15	180000	36000	216000
20	Basti	14	168000	36000	204000
21	Sant K Nagar	9	108000	36000	144000
22	Siddharth N	14	168000	36000	204000
23	Banda	8	96000	36000	132000
24	Chitrakoot	5	60000	36000	96000
25	Hamirpur	7	84000	36000	120000
26	Mahoba	4	48000	36000	84000
27	Bahraich	14	168000	36000	204000
28	Balrampur	9	108000	36000	144000
29	Gonda	16	192000	36000	228000
30	Shrawasti	5	60000	36000	96000
31	Ambedkar N	9	108000	36000	144000
32	Amethi*	13	156000	36000	192000
33	Barabanki	15	180000	36000	216000
34	Faizabad	11	132000	36000	168000
35	Sultanpur	13	156000	36000	192000
36	Deoria	16	192000	36000	228000
37	Gorakhpur	19	228000	36000	264000
38	Kushinagar	14	168000	36000	204000
39	Maharajganj	12	144000	36000	180000
40	Jalaun	9	108000	36000	144000
41	Jhansi	8	96000	36000	132000
42	Lalitpur	6	72000	36000	108000
43	Farrukhabad	7	84000	36000	120000
44	Auraiya	7	84000	36000	120000
45	Etawah	8	96000	36000	132000
46	Kannauj	8	96000	36000	132000
47	Kanpur Dehat	10	120000	36000	156000
48	Kanpur Nagar	10	120000	36000	156000
49	Hardoi	19	228000	36000	264000
50	Lakhimpur K	15	180000	36000	216000
51	Lucknow	8	96000	36000	132000
52	Rae Bareli*	18	216000	36000	252000
53	Sitapur	19	228000	36000	264000
54	Unnav	16	192000	36000	228000
55	Bagpat	6	72000	36000	108000
56	Bulandshahar	16	192000	36000	228000
57	G B Nagar	4	48000	36000	84000
58	Ghaziabad	4	48000	36000	84000

59	Hapur	4	48000	36000	84000
60	Meerut	12	144000	36000	180000
61	Mirzapur	12	144000	36000	180000
62	Sonbhadra	8	96000	36000	132000
63	SRavidas N	6	72000	36000	108000
64	Bijnor	11	132000	36000	168000
65	JP Nagar	6	72000	36000	108000
66	Moradabad	8	96000	36000	132000
67	Rampur	6	72000	36000	108000
68	Sambhal	8	96000	36000	132000
69	Muzaffarnagar	9	108000	36000	144000
70	Saharanpur	11	132000	36000	168000
71	Shamli	5	60000	36000	96000
72	Chandauli	9	108000	36000	144000
73	Ghazipur	16	192000	36000	228000
74	Jaunpur	21	252000	36000	288000
75	Varanasi	8	96000	36000	132000
	Total	**820**	**9840000**	**2700000**	**12540000**

***पत्रांकः एम.डी.–कैम्प / 2014–15 / 1647 दिनांकः 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र–सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।**

समस्त जिला कार्यक्रम इकाइयों तथा ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु रू0 1,25,40,000.00 (रु0 एक करोड पच्चीस लाख चालीस हजार मात्र)।

इण्टरनेट कनेक्टिविटी लेन / डाटा कार्ड के माध्यम से

जिला कार्यक्रम इकाइयों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु रु0 3,000.00 प्रति माह की दर से एवं ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु रु0 1,000.00 प्रति माह प्रति ब्लाक की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इस धनराशि का उपयोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के मासिक बिल के भुगतान, नजदीक के स्वान सेंटर्स (SWAN- state wide Area Network) अथवा साइबर कैफे के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ब्लाक / जनपद / प्रदेश मुख्यालय पर एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर 100 प्रतिशत रिर्पोटिग की सूचनाएं प्रेषित करने के लिए किया जायेगा।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देशः

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों / निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यकम / मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यकम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

22/12/14

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्याःएस0पी0एम0यू0/एम0आई0एस0/ डाटा कार्ड /2014–15/51 तद्दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ।

सेवा में,

1.समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2.समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्याःएस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/ डाटा कार्ड /2014–15/50–ए/ दिनांकः 26-12-14

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 75 जनपदीय पीएमयू एवं 820 ब्लॉक पीएमयू में लैन/डाटा कार्ड के माध्यम से इंटरनेट की कनेक्टिविटी की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी0आई0पी0 2014–15 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया हैः–

" Internet connectivity through LAN/ Data card @ Rs. 3,000.00 per month for District Programme Management Unit and @ Rs. 1,000.00 per month for Block Programme Management Unit as per FMR code B.15.3.2.7 for financial year 2014-15. These are indicative rates, final rates are to be arrived at as per DGS&D rate contract or after competitive bidding following protocols"

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार हैः–

SN.	Districts	No. of Block PMU	Approved @ Rs 1000.00 per BPMU per month for Internet Connectivity through LAN/Data Card	Approved @ Rs 3000.00 per DPMU per month for Internet Connectivity through LAN/Data Card	Total amount released FY 2014-15 (Rs.)
1	2	3	4 = (Col. 3) X Rs 1000 x 12 months/district	5= Rs.3000 x 12 month / District	6=4+5
1	Agra	15	180000	36000	216000
2	Firozabad	9	108000	36000	144000
3	Mainpuri	9	108000	36000	144000
4	Mathura	10	120000	36000	156000
5	Aligarh	12	144000	36000	180000
6	Etah	8	96000	36000	132000
7	Hathras	7	84000	36000	120000
8	Kashganj	7	84000	36000	120000
9	Allahabad	20	240000	36000	276000
10	Fatehpur	13	156000	36000	192000
11	Kaushambi	8	96000	36000	132000

12	Pratapgarh	17	204000	36000	240000
13	Azamgarh	22	264000	36000	300000
14	Ballia	17	204000	36000	240000
15	Mau	9	108000	36000	144000
16	Bareilly	15	180000	36000	216000
17	Budaun	15	180000	36000	216000
18	Pilibhit	7	84000	36000	120000
19	Shahjahanpur	15	180000	36000	216000
20	Basti	14	168000	36000	204000
21	Sant K Nagar	9	108000	36000	144000
22	Siddharth N	14	168000	36000	204000
23	Banda	8	96000	36000	132000
24	Chitrakoot	5	60000	36000	96000
25	Hamirpur	7	84000	36000	120000
26	Mahoba	4	48000	36000	84000
27	Bahraich	14	168000	36000	204000
28	Balrampur	9	108000	36000	144000
29	Gonda	16	192000	36000	228000
30	Shrawasti	5	60000	36000	96000
31	Ambedkar N	9	108000	36000	144000
32	Amethi*	13	156000	36000	192000
33	Barabanki	15	180000	36000	216000
34	Faizabad	11	132000	36000	168000
35	Sultanpur	13	156000	36000	192000
36	Deoria	16	192000	36000	228000
37	Gorakhpur	19	228000	36000	264000
38	Kushinagar	14	168000	36000	204000
39	Maharajganj	12	144000	36000	180000
40	Jalaun	9	108000	36000	144000
41	Jhansi	8	96000	36000	132000
42	Lalitpur	6	72000	36000	108000
43	Farrukhabad	7	84000	36000	120000
44	Auraiya	7	84000	36000	120000
45	Etawah	8	96000	36000	132000
46	Kannauj	8	96000	36000	132000
47	Kanpur Dehat	10	120000	36000	156000
48	Kanpur Nagar	10	120000	36000	156000
49	Hardoi	19	228000	36000	264000
50	Lakhimpur K	15	180000	36000	216000
51	Lucknow	8	96000	36000	132000
52	Rae Bareli*	18	216000	36000	252000
53	Sitapur	19	228000	36000	264000
54	Unnav	16	192000	36000	228000
55	Bagpat	6	72000	36000	108000
56	Bulandshahar	16	192000	36000	228000
57	G B Nagar	4	48000	36000	84000
58	Ghaziabad	4	48000	36000	84000

59	Hapur	4	48000	36000	84000
60	Meerut	12	144000	36000	180000
61	Mirzapur	12	144000	36000	180000
62	Sonbhadra	8	96000	36000	132000
63	SRavidas N	6	72000	36000	108000
64	Bijnor	11	132000	36000	168000
65	JP Nagar	6	72000	36000	108000
66	Moradabad	8	96000	36000	132000
67	Rampur	6	72000	36000	108000
68	Sambhal	8	96000	36000	132000
69	Muzaffarnagar	9	108000	36000	144000
70	Saharanpur	11	132000	36000	168000
71	Shamli	5	60000	36000	96000
72	Chandauli	9	108000	36000	144000
73	Ghazipur	16	192000	36000	228000
74	Jaunpur	21	252000	36000	288000
75	Varanasi	8	96000	36000	132000
	Total	820	9840000	2700000	12540000

*पत्रांक: एम.डी.–कैम्प / 2014–15 / 1647 दिनांक: 04.12.2014 के क्रम में जनपद अमेठी के 03 विकास क्षेत्र–सलोन, छतोह एवं डीह को जनपद रायबरेली में सम्मिलित करते हुए धनराशि निर्गत की जा रही है।

समस्त जिला कार्यक्रम इकाइयों तथा ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु रू0 1,25,40,000.00 (रु0 एक करोड पच्चीस लाख चालीस हजार मात्र)।

इण्टरनेट कनेक्टिविटी लेन / डाटा कार्ड के माध्यम से

जिला कार्यक्रम इकाइयों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु रु0 3,000.00 प्रति माह की दर से एवं ब्लॉक कार्यक्रम इकाइयों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी हेतु रु0 1,000.00 प्रति माह प्रति ब्लाक की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इस धनराशि का उपयोग इंटरनेट कनेक्टिविटी के मासिक बिल के भुगतान, नजदीक के स्वान सेंटर्स (SWAN- state wide Area Network) अथवा साइबर कैफे के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ब्लाक / जनपद / प्रदेश मुख्यालय पर एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर 100 प्रतिशत रिर्पोटिग की सूचनाएं प्रेषित करने के लिए किया जायेगा।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देश:

- धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों / निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम / मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

- जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
- आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

4274-29

पत्रसख्याःएस0पी0एम0यू0/एम0आई0एस0/ डाटा कार्ड /2014–15/5 तद्दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
9. महाप्रबन्धक–एम0आई0एस0, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

22/12/14

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक